

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी माण्डल जिला भीलवाडा

अधिकारी - मनोज, आर.ए.एस.

क्रमांक - 75/23 प्रा०पत्र

श्री श्रीला कंवर धोत्री नन्दसिंह मसाबी निवासी मेजा तहसील-माण्डल  
- प्रार्थी

बनाम

श्री श्री नन्दसिंह मसाबी निवासी - मेजा तहसील-माण्डल  
श्री श्री नन्दसिंह मसाबी (उपापत्ति) निवासी-मेजा तहसील-माण्डल  
राजस्थान राज्य परिषद तहसीलदार माण्डल तहसील-माण्डल  
- विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा.भू. रा. अधि. 1956

दिनांक :- 19.3.24


:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन  
मामल ..... मेजा ..... पटवार हल्का ..... मेजा ..... तहसील माण्डल में उसके खाते  
खाते की आराजी नं० 2858/1091 ..... कुल किता 0.1 ..... रकबा 0.1265  
हैक्टेयर स्थित है। वादग्रस्त भूमि के विपक्षीगण के मध्य आराजी मृतदायिवा के सीमा चिन्ह नहीं  
दिनर सीमा संबंधी विवाद उत्पन्ना होता रहता है जिसमें प्रार्थी अपने खाते / संयुक्त खाते की  
प्रगढी के आदेश प्रदान कराये जावें।

ना पत्र इस न्यायालय में दिनांक 18.4.23 को पंजीबद्ध किया जाकर प्रकरण को  
से यह बात सिद्ध है कि वादग्रस्त भूमि प्रार्थी एवं कब्जे काशत काशत की होने से पत्थरगढी  
अधिकारी है। वैसे भी इस प्रकार के आदेश से अधिकारी निर्धारित किये जाते हैं। अतः इन तथ्यों  
ए नैसर्गिक की न्यायिक सिद्धान्त के आधार पत्र स्वीकार योग्य है।


:: आदेश ::

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 रा. भू.रा. अधि. 1956 का स्वीकार किया जाकर ग्राम मेजा  
पटवार हल्का मेजा तहसील माण्डल में उसके खाते / संयुक्त खाते की  
2858/1091 कुल किता 0.1 रकबा 0.1265 हैक्टेयर  
में तरफ सीमा की पुरख्ता जानकारी किये जाने हेतु पत्थरगढी किये जाने का आदेश दिया जाता  
गि किये जाने हेतु भू- अभिलेख निरीक्षक मेजा को 500/- रूपये /-  
स पर कमिश्नर फीस जमा होने पर पक्षकरान् की मौजूदगी में मोके व कब्जे की यस्थास्थिति को  
हुए मुस्तकील बिन्दु को आधार मानकर पत्थरगढी की जावे। फसल खडी होने पर पत्थरगढी  
वें।

  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल

तहसीलदार माण्डल को भेजकर लेख है कि प्रार्थी द्वारा राशि जमा कराने पर नियमानुसार  
गि जाकर पालना रिपोर्ट 07 दिवस में प्रस्तुत करें।



  
उपखण्ड अधिकारी  
माण्डल